न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या...13/2022

राज0 सरकार बनाम तहसीलदार शाहपुरा

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 17.10.20202

तहसीलदार शाहपुरा के प्रार्थना पत्र क्रमांक कैम्प/2022/ 10 दिनांक 15.6.2022 के संलग्न निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, ग्राम पंचायत टोडी की अभिशंषा एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम सिवायक भूमि मे से नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित भूमि में मौके पर चालू स्थाई रास्ता विधमान है जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म रास्ता परिवर्तन प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त हुआ है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से ग्रेवल सड़क डालकर चालू रास्ते का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्रामो की सिवायचक भूमि में से (लालस्याही से प्रदर्शित नजरी नक्शा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

क0सं0	नाम राजस्व ग्राम	ख0नं0	कुल रकबा	किस्म	रास्ते/सड़क दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा	वि0वि0
1	टोडी	5576	0.77 है0	बंजड	0.0330 है0	
2	टोडी	5176	1.25 है0	बंजड	0.06 है0	

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांकः राजस्व/2022/ 80)

दिनांक :17.10.2022

प्रतिलिपिः– तहसीलदार शाहपुरा को दी जाकर लेख हैं कि निर्णय के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)